राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1465/2012/जयपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, ज़यपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 257/अपील्स–II/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2008–09 के आदेश दिनांक 31.01.2011 को प्रतिप्रेषित किया गया था।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश दिनांक 23.02.2012 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच कर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 34 के तहत वर्ष 2008–09 का पुनः आदेश दिनांक 28.07.2013 को पारित कर दिया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली पर रखी गयी। ~~एवं~~ व्यवहारी द्वारा दिनांक 28.07.2013 के आदेश से भी असंतुष्ट होकर अपील की गई थी, उसका निस्तारण भी अपील संख्या 107/अ.प्रा.-II/जयपुर/13-14 दिनांक 21.08.2014 को हो चुका है, इस तरह इस प्रकरण में विवादित आदेश दिनांक 23.02.2012 निष्प्रभावी हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन (infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

14/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य